रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2014/माघ 2, 1935
No. 158] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2014/MAGHA 2, 1935

विदेश मंत्रालय

(नालंदा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2014

का.आ. 163 (अ).—जबकि बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक तथा आध्यात्मिक अध्ययन और इससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों के अनुसरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए थाइलैंड में 25 अक्तूबर, 2009 को संपन्न चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में एक निर्णय लिया गया था;

जबकि उक्त निर्णय के अनुसार भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का 39) को अधिनियमित किया;

जबकि नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 21 में उल्लिखित है कि "शैक्षणिक स्टॉफ के सदस्यगण और जहां लागू हो, उनके आश्रित अथवा परिवार के सदस्यगण ऐसे विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्राप्त करेंगे, जैसा केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय के साथ एक करार करके संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार तथा उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के तहत अधिसूचित करेगी;

और जबकि बिहार राज्य, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय तथा नालंदा विश्वविद्यालय के बीच मुख्यालय करार पर 20 जुलाई, 2013 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अनुच्छेद-VI में मेजबान देश के प्रासंगिक कानून, नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन शैक्षणिक स्टाफ के सदस्यों और जहां लागू हो, उनके आश्रितों तथा परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं, अर्थातः-

(i) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ, जो मेजबान देश अर्थात भारत के नागरिक नहीं हैं और जहां लागू हो, उनके आश्रितगण और परिवार के सदस्यगण विश्वविद्यालय में अपनी सेवाओं से संबंधित वेतन, मानदेय, भत्ते तथा अन्य परिलब्धियों के संबंध में कराधान से छूट प्राप्त करेंगे; स्थानीय कानूनों के अनुरूप विदेशियों के पंजीकरण से छूट सहित उपयुक्त वीजा; अपने आश्रितों तथा अपने घरेलू स्टाफ के सदस्यों सहित राष्ट्रीय संकट के समय स्वदेश वापसी की सुविधा, विश्वविद्यालय में सेवा के दौरान मेजबान देश के भूभाग के भीतर अथवा कहीं और विदेशी प्रतिभूति तथा अन्य चल और अचल संपत्ति रखने की स्वतंत्रता और ऐसी सेवा की समाप्ति के समय मेजबान देश के भूभाग से बिना किसी सीमा अथवा प्रतिबंध के अपनी जमापूंजी उस मुद्रा में, जिसमें वेतन देय हो, बाहर ले जाने का अधिकार; और मेजबान देश में आवास स्थापित करने के लिए प्रथम आगमन के समय फर्नीचर, मोटर वाहनों, अन्य व्यक्तिगत तथा घरेलू वस्तुओं का सीमाशुल्क कर तथा अन्य लेवी से मुक्त आयात करने का अधिकार और केंद्र में अपनी सेवा की समाप्ति के समय इस प्रकार आयातित वस्तुओं के निर्यात के संबंध में समान अधिकार प्राप्त होगा।

(ii) विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्टाफ, जो कि मेजबान देश अर्थात भारत का नागरिक है, केवल विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किए गए वेतन और परिलब्धियों के मामले में कराधान से छूट पाने के हकदार होंगे।

(iii) मेजबान देश में कोई निजी लाभदायक कार्य को करने वाले विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्टाफ के परिवार के सदस्यों को मुख्यालय करार में प्रदान की गयी सुविधाएं और उन्मुक्तियां प्रदान नहीं की जाएगी।

अब, इसलिए मुख्यालय करार में उपर्युक्त उल्लिखित विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों को प्रभावी बनाने हेतु केंद्रीय सरकार संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) (जिसे इसके बाद कथित अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा घोषित करती है किः-

(i) उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 5 की धारा 18, 20 और 21 के खंड (ख), (ग), (घ), (ड.), (च) और (छ) के प्रावधान शैक्षिक स्टाफ के सदस्यों, जोकि भारत के नागरिक नहीं है, और जहां प्रयोज्य है, उनके आश्रित या परिवार के सदस्यों पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(ii) उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 5 की धारा 18 के खंड (ख) के प्रावधान शैक्षिक स्टाफ, जोकि भारत के नागरिक हैं, पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे;

(iii) उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 5 की धारा 20 की शर्तों के संदर्भ में, विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्टाफ को प्रदत्त विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, विश्वविद्यालय के हित में है न कि स्वयं व्यक्तियों के लाभ के लिए और कुलपति का यह अधिकार और कर्तव्य है कि किसी भी ऐसे मामले में विश्वविद्यालय के किसी शैक्षिक स्टाफ की उन्मुक्ति को हटाया जा सकता है, जहां उनके मंतव्य में, उन्मुक्ति से न्याय के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न होगी और विश्वविद्यालय के हितों को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किए बिना इन्हें हटाया जा सकता है। कुलपति के मामले में उन्मुक्तियों को हटाने का अधिकार विजीटर को होगा।

(iv) उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 5 की धारा 21 के संदर्भ में विश्वविद्यालय न्याय प्रशासन, पुलिस विनियमों के समुचित अनुपालन के लिए तथा इस अधिसूचना में उल्लिखित विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों तथा सुविधाओं का किसी प्रकार दुरुपयोग रोकने के लिए मेजबान देशों के उपयुक्त प्राधिकारियों से सर्वदा सहयोग करेगा।

[फा. सं. एस/321/15/2011]

डॉ. अनुपम रे, संयुक्त सचिव (नालंदा)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Nalanda Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2014

S.O. 163 (E).—Whereas a decision was arrived at the Fourth East Asia Summit held on 25th October, 2009, at Thailand for the establishment of the Nalanda University in the State of Bihar as an International Institution for pursuit of intellectual, philosophical, historical and spiritual study and for the matters connected therewith or incidental thereto;

Whereas pursuant to the said decision, the Government of India enacted the Nalanda University Act, 2010 (39 of 2010);

Whereas section 21 of the Nalanda University Act, 2010 provides that "the members of the academic staff and, where applicable, their dependants or members of the family, shall enjoy such privileges and immunities as the Central Government may, after entering into an agreement with the University, notify under section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947)";

AND Whereas, the Headquarters Agreement between the Ministry of External Affairs of the Republic of India and the Nalanda University for the establishment of the University in State of Bihar, India was signed on the 20th day of July, 2013, Article VI of which confers the following privileges and immunities to the members of the academic staff, and where applicable, their dependants or members of the family, subject to the provisions of the pertinent laws, rules and regulations of the Host Country, namely:-

(i) the academic staff of the University, who are not citizens of the Host Country, i.e. India, and where applicable, their dependants and members of the family, shall enjoy exemption from taxation in respect of salaries, honoraria, allowances and other emoluments in connection with their services with the University; the right to get appropriate visas with the exemption from foreigners' registration as per local laws; repatriation facilities in time of national crisis, together with their dependants and members of their household staff; freedom to maintain within the territory of the Host Country, or elsewhere, foreign securities, and other movable and immovable property, while employed with the University, and at the time of termination of such employment, the right to take out of the territory of the Host Country, his or her savings without restriction or limitations in the currency in which salary is payable; and the right on first arrival to import free of customs duties, taxes and other levies, furniture, motor vehicles, other personal and household effects to establish residence in the Host Country; and the right to export with similar privileges goods thus imported at the termination of their duties with the Centre.

(ii) the academic staff of the University who are citizens of the Host Country i.e. India, shall only be entitled to exemption from taxation in respect of salaries and emoluments paid to them by the University.

(iii) the privileges and immunities provided in the Headquarters Agreement shall not be accorded to members of the family of the academic staff of the University who carry on any private gainful occupation in the Host Country.

Now, therefore, for giving effect to the aforesaid privileges and immunities contained in the above mentioned Headquarters Agreement, the Central Government in exercise of the powers conferred by section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947) (hereinafter referred to as the said Act), hereby declares that -

(i) the provisions of clauses (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of section 18, sections 20 and 21 of Article V of the Schedule to the said Act shall apply mutatis mutandis to the members of the academic staff who are not the citizens of India, and where applicable, to their dependants or members of the family;

(ii) the provisions of clause (b) of section 18 of Article V of the Schedule to the said Act shall apply mutatis mutandis to the academic staff who are the citizens of India;

(iii) in terms of section 20 of Article V, of the Schedule to the said Act, the privileges and immunities are granted to the academic staff of the University in the interests of the University and not for the benefit of the individuals themselves and the Vice- Chancellor shall have the right and the duty to waive the immunity of any academic staff of the University in any case where, in his opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the University and in case of Vice-Chancellor, the Visitor shall have the right to waive the immunity;

(iv) in terms of section 21 of Article V of the Schedule to the said Act, the University shall cooperate at all times with appropriate authorities of the Host Country to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges, immunities and facilities mentioned in this notification.

[F. No. S/321/15/2011]

Dr. ANUPAM RAY, Jt. Secy. (Nalanda)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.